भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

फाईल नं0 8(1)2011-2012/प्रशासन चतुर्थ		दिनांक 22.10.2011

नीलामी सूचना

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के हॉर्टिकल्चर के अलग–अलग फील्ड में ऑवला की विभिन्न किस्मों के 228 फल लगे पेड़ हैं जिनके फलों की नीलामी (फल ऋतु 2011–2012 के लिए) दिनांक 04.11.2011 को प्रातः 11.30 बजे इस संस्थान के सभागार में की जाएगी । जो सज्जन/पार्टी इच्छुक है वे निश्चित दिनांक एवं समय पर इस संस्थान में उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है।

नीलामी की कुछ शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. नीलामी में सम्मिलित होने वाले इच्छुक व्यक्ति/पार्टी को बोली लगाने से पूर्व रूपये 5000/–(पॉच हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होंगे जो कि ठेका पारित होने पर ठेका लेने वाले के अलावा अन्य सभी को वापिस लौटा दिये जायेगे ।
2. ठेके मे पारित अधिकतम राशि का आधा भाग ठेके की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राशि फलों की शुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा कराने होगें ।
3. ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय प्रागंण में एक विक्रय स्थान रखने के लिए वांछित सुविधा दी जायेगी ।
4. ठेका छोड़ने व न छोड़ने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान,(काजरी), जोधपुर को होगा ।
5. अन्य शर्ते नीलामी के दिन बोली लगाने से पूर्व बता दी जायेगी ।

आंवला फलों का निरीक्षण, विस्तृत विवरण व अन्य जानकारी हेतु नीलामी से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर देख सकते हैं अथवा इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in देखें । Contact :0291-2788789, 2787152, 9414475223

सहायक प्रशासकीय अधिकारी
वास्ते निदेशक

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

फाईल नं0 8(1)2011-2012/प्रशासन चतुर्थ दिनांक : 22.10.2011

नीलामी सूचना

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के उद्यान विभाग में ऑवला की विभिन्न किस्मों के 228 फल लगे पेड़ जिनकी नीलामी दिनांक 04.11.2011 को प्रातः 11.30 बजे इस संस्थान के सभागार में होगी जो सज्जन/पार्टी इच्छुक है वे निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी की कुछ शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. नीलामी में सम्मिलित होने वाले इच्छुक व्यक्ति/पार्टी को बोली लगाने से पूर्व रू0 5000/– धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होंगे जो कि ठेका पारित होने पर ठेका लेने वाले के अलावा अन्य सभी को वापिस लौटा दिये जायेगे ।
2. ठेके मे पारित अधिकतम राशि का आधा भाग ठेके की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राशि फलों की शुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा करानी होगी।
3. ऑवला तोड़ने के पश्चात् उनकी तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 10.00 बजें से 4.00 बजें तक इस कार्यालय के अधिकृत अधिकारी का उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा ।
4. ठेकेदार द्वारा ठेके की अनुपालना तथा ठेके की स्वीकृत राशि समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांच्छित स्टाम्प पेपर पर भरकर प्रस्तुत करने के बाद ही आंवला के फलों की तुड़ाई शुरू करनी होगी।
5. ठेके की स्वीकृत शर्तो में से किसी भी शर्त का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन किये जाने पर निदेशक को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार द्वारा कार्यालय में कराई गई समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी।
6. ठेकेदार अथवा उनके मजदूरों द्वारा आंवला व अन्य पेड़ पौधों, सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी।
7. अधिकतम बोली लगाने वाले ठेकेदार को ठेके की राशि के अलावा सिक्यूरीटी राशि (ठेके की कुल राशि का 5 प्रतिशत) अलग से जमा करानी होगी । जो कि ठेके की समस्त शर्तो की अनुपालना करने पर और ठेका अवधि पूरी होने के पश्चात् वापिस देय होगी ।
8. ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय प्रागंण में एक विक्रय स्थान रखने के लिए वांछित सुविधा दी जायेगी ।
9. फलों की देख–रेख की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
10. आंवला फल तुड़ाई के लिये पेड़ हिलाये नही जायेंगे/पेड़ की टहनियां तौड़ी नहीं जाएगी।
11. ऑवला तुड़ाई एवं फल ले जाने इत्यादि कार्य में लगायें गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक व सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी।
12. ऑवला के पेड़ों को पानी की सिंचाई, संबंधित वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी के निर्देशन के अनुसार करना होगा ।
13. ठेकेदार या उसके अधीनस्थ मजदूर को संस्थान में फील्ड में शराब पीते/पीये हुए पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

कृ.पृ.उ.

14. संस्थान परिसर में जंगली जानवरों/पशु/पक्षियों को नुक्सान पहॅुचाना या उनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले उस व्यक्ति/संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
15. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इत्यादि का पूर्ण रूप से अनुसरण करना होगा । इनकी पालना न करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
16. ठेकेदार को ठेका कार्य के दौरान मजदूरों को आधारभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी छाया इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी ।
17. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, काजरी का होगा ।
18. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।
19. ठेका छोड़ने व न छोड़ने का अधिकार निदे**श**क, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, (काजरी), जोधपुर को होगा ।
20. अन्य **श**र्ते नीलामी बोली के समय बता दी जायेगी ।

निदेशक
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर